स्पाइसेस बोर्ड
Spices Board

(निर्यातकों का पंजीकरण)
(Registration of Exporters)

विनियम, 1989
Regulations - 1989

(19.10.93 तक यथा संशोधित)
(As amended upto 19.10.93)

स्पाइसेस बोर्ड
भारत

स्पाइसेस बोर्ड
Spices Board
वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार
(Ministry of Commerce, Govt. of India)
पी.बी. नं. 2277
P. B. No. 2277
कोच्ची - 682 025
Cochin - 682 025

स्पाइसेस बोर्ड

अधिसूचना

कोचिन, 5 अक्तूबर, 1989

मसाला बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) विनियम, 1989

फा.सं.प्र/पंजी/01/89- मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से मसाला बोर्ड निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः

1. इन विनिमयों का नाम, मसाला बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) विनियम, 1989 है।
2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएंः-

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः-

i) 'अधिनियम' से मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 (1986 का 10) अभिप्रेत है;

ii) 'बोर्ड' से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित मसाला बोर्ड अभिप्रेत है;

iii) 'वर्ष' से अप्रैल एक से प्रारंभ होने वाला वर्ष अभिप्रेत है;

iv) 'अध्यक्ष' से बोर्ड के अध्यक्ष अभिप्रेत है;

v) 'सचिव' से धारा 4 के अधीन नियुक्त बोर्ड के सचिव अभिप्रेत है;

vi) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

vii) 'नियम' से मसाला बोर्ड नियम, 1987 अभिप्रेत है;

viii) 'उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उनके उसमें है।

Spices Board

NOTIFICATION

Cochin, 5th October 1989

The Spices Board (Registration of Exporters) Regulations 1989

F. No. Adm/Reg/01/89 - In exercise of the powers conferred by section 39 of the Spices Board Act 1986, the Spices Board hereby makes the following Regulations, with the previous approval of the Central Government, namely :-

1. Short title and commencement:

1. These Regulations may be called the Spices Board (Registration of Exporters) Regulations, 1989.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions:

In these Regulations, unless the context otherwise requires:

i) "Act" means the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986).

ii) "Board" means the Spices Board constituted under section 3 of the Act.

iii) "Year" means the year commencing on the first day of April.

iv) "Chairman" means the Chairman of the Board.

v) "Secretary" means the Secretary of the Board appointed under section 4.

vi) "Section" means a section of the Act.

vii) "Rules" means the Spices Board Rules, 1987.

viii) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act and the Rules shall have the same meanings respectively assigned to them.

3. निर्यातक के रूप में नया प्रमाण पत्र देने की शर्तें:-

1. क. धारा 12 के अधीन प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिये आवदेन नियमों में बताये 'प्रपत्र 1' में बोर्ड के सचिव को देना है। प्रत्येक आवेदन के साथ मसाला बोर्ड कोचिन के पक्ष संदेय दो हज़ार रुपए की फीस क्रास मांग देय (ड्राफ्ट) या पोस्टल आर्डर या एम. ओ. द्वारा दी जाएगी।

ख. एक बार जब फीस बोर्ड को दी गयी है तो वह किसी भी हालत में वापस न दी जाएगी।

ग. प्रमाणपत्र की मंजूरी केलिये आवेदन के साथ वित्तीय दुरुस्तता के संबंध में बैंक संदर्भ/प्रमाणपत्र भेजना होता है।

घ. प्रमाणपत्र निर्गमन प्राधिकारी, अगर आवेदक की उपयुक्तता पर संतुष्ट है तो जिन वस्तुओं केलिए प्रपत्र - में 1 में नियम के अनुसार प्रमाणपत्र वांछित किया गया है तो 'प्रपत्र क' में मसालों के निर्यात केलिए प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

ड. प्रत्येक प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्रधारी को वैयक्तिक रूप से दिया गया माना जाएगा और कोई भी प्रमाणपत्र बिका या तो अन्तरित नहीं किया जा सकता।

च. जहां एक प्रमाणपत्रधारी अपना व्यापार किसी व्यक्ति को बिकता या अन्तरित करता है, खरीददार या अन्तरणकर्ता को, यथास्थित इन विनियमों एवं नियमों के अनुसार एक नया प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।

छ. जहां कहीं किसी प्रमाणपत्रधारी - निर्यातक के स्वामित्व, संविधान, नाम या पते में कोई परिवर्तन हो तो, उसे इस परिवर्तन के बारे में प्रमाणपत्र निर्गमन प्राधिकारी को परिवर्तन तारीख के 30 दिन के अन्तर्गत सूचना देनी चाहिए। प्रमाणपत्र निर्गमन प्राधिकारी पर्याप्त कारणों के होने पर, इस संबंध में विलंब केलिए तीन महीने तक माफ कर सकते हैं। इन मामलों में जहां, विलंब को प्रमाणपत्र निर्गमत प्राधिकारी द्वारा माफ नहीं किया गया है, दिए गए/ अनुमत्य समय के अन्तर्गन, परिवर्तन के बारे में अपेक्षित सूचना नहीं दी गयी है तो, निर्यातक को नए पंजीकरण केलिए आवेदन देना होगा। निर्माता - निर्यातकों के मामलों में, प्रमाणपत्र निर्गमन प्राधिकारी को परिवर्तन के संबंध में, यह भी सत्यापित करना होगा कि प्रायोजक प्राधिकारी की अनुमति मिली है या नहीं।

---

1. भारत सरकार अधिसूचना सं. 41; दिनांक 19/10/93 द्वारा संशोधित

3. Conditions for grant of fresh certificate as Exporter:

1. a) An application for grant of certificate under section 12 shall be made to the Secretary of the Board in 'Form 1' mentioned in the Rules. Every application shall be accompanied by a fee of Rupees two thousand[1] by a crossed demand draft/postal order/M.O. drawn and payable to the Spices Board, Cochin.

b) The fees once remitted to the Board shall not be refunded under any circumstances.

c) Application for grant of certificate shall be accompained by a Bank Reference/Certificate in respect of the financial status.

d) The certificate issuing authority may, if he is satisfied as to the suitability of the applicant, issue a certificate to export spices to the applicant in 'Form A' in respect of the commodities for which the certificate is sought in 'Form 1' indicated in the Rules.

e) Every certificate shall be deemed to have been granted personally to the certificate holder and no certificate shall be sold or otherwise transferred.

f) Where a certificate holder sells or otherwise transfers his business to another person, the purchaser or transferee, as the case may be, shall obtain a fresh certificate in accordance with the provisions of these Regulations and Rules.

g) Where there is any changes in the ownership, constitution, name or address of any certificate holding exporter, he shall intimate the change to the Certificate issuing authority within a period of 30 days from the date of the change. The certificate issuing authority may for sufficient reasons condone any delay in this regard upto a period of three months. In case where the delay is not condoned by the certificate issuing authority or requisite intimation about the change is not sent within the time as laid down/as may be permitted, the exporter shall apply for fresh registration. In the case of manufacturer-exporters the certificate issuing authority shall also verify whether the permission of the sponsoring authority in regard to the change has been obtained.

---

[1] Amended by Notification No. MD/L&R/01/92.93 dated 19.10.93

यथोचित सत्यापन के बाद, प्रमाणपत्र निर्गमन प्राधिकारी नए या पुन:संघटित संस्था को एक नया पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं जो नाम स्वामित्व, या संघटन के परिवर्तन की तारीख मामला जो भी है, से मान्य होगा।

ज. जहां कहीं प्रमाणपत्रधारी निर्यातक फर्म के संघटन में एक साझेदार की भर्ती या सेवा-निवृत्ति या मृत्यु से, (या हिन्दू अविभाजित पारिवारिक संबंध के मामलों में कार्टा में परिवर्तन) और पुनर्सगंठित फर्म पूरे व्यापार को उसके नाम या पते में कोई परिवर्तन के बिना ले लेता है तो ऐसे परिवर्तन बताए गए अनुसार प्रमाणपत्र निर्गमन प्राधिकारी से नए पंजीकरण की अपेक्षा नहीं करता। उसी प्रकार, निजी लिमिटेड कम्पनी को सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तित करने पर, या इनके उल्टे, प्रमाणपत्र निर्गमन प्राधिकारी को एक सूचना ही भेजनी चाहिए, और ऐसे परिवर्तन किसी नए पंजीकरण की अपेक्षा नहीं करता।

झ. यदि कोई प्रमाणपत्रधारी अपने प्रमाणपत्र में प्रतिपादित व्यवसाय के बारे में, साझे दारी में दर्ज करता है तो उसे यह तथ्य प्रमाणपत्र-निर्गमन प्राधिकारी को ऐसी साझेदारी में दर्ज करने के तीस दिन की अवधि के अन्तर्गत सूचित करना चाहिए और प्रमाणपत्र को उचित रूप से संशोधित पाना चाहिए।

ञ. यदि एक साझेदारी जो प्रमाणपत्रधारी है, विघटित करना है तो हर एक व्यक्ति को, जो विघटन के तुरन्त पूर्व का साझेदार रहा है, विघटन के बारे में, उसके तीस दिन के अन्तर्गत प्रमाणपत्र निर्गमन अधिकारी को, रिपोर्ट भेजनी चाहिए।

ट. यदि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में न हो, या उसमें अपेक्षित कोई भी विवरण न हो, तो वह आवेदन संक्षेपतः रद्द किया जाएगा।

ठ. किसी भी व्यक्ति को 'प्रपत्र क' में प्रमाणपत्र नहीं दिया जाएगा जब तक निर्गमन प्राधिकारी मसाले संसाधन संपत्र/मसाले निर्यातक के यूनिट में उपलब्ध सुविधाओं से संतुष्ट न हो।

ड. निर्यातक को 'प्रपत्र ख' में एक रजिस्टर बनाए रखना चाहिए।

ढ. मसाले निर्यातक को बोर्ड को 'प्रपत्र ख' में एक तिमाही[1] विवरण भेजना चाहिए ताकि वह हर अनुवर्ती तिमाही[2] के 10 वें दिन को या उससे पूर्व सचिव, स्पाइसेस बोर्ड को मिल जाए।

1, 2. भारत सरकार, अधिसूचना संख्या 41; दिनांक: 19/10/93 द्वारा संशोधित

After due verification, the certificate issing authority may issue a fresh registration certificate to the new or reconstituted concern, which shall be valid from the date of change in name, ownership, or constitution as the case may be.

h) Where there is a change in the constitution of a certificate holding exporter firm by admission or retirement or death of a partner (or by a change of Karta in the case of Hindu undivided family concern,) and the reconstituted firm takes over the business as a whole without any change in its name and address such change will not require any fresh registration with the certificate issuing authority as laid down. Similary, in the event of change from Private Limited Company to Public Limited Company or vice-versa, only an intimation should be sent to the certificate issuing authority, and such change shall not require any fresh registration.

i) If a Certificate holder enters into a partnership in regard to the business covered by his certificate, he shall report the fact to the certificate issuing authority within a period of thirty days of entering into such partnership and get the certificate suitably amended.

j) If a partnership holding a certificates is dissolved every person who was a partner immediately before such dissolution shall send a report, on the dissolution to the certificate issuing authority within thirty days thereof.

k) If the application is not in the prescribed form or does not contain any of the required particulars, the application may be summarily rejected.

l) A Certificate in 'Form A' shall not be granted to a person unless the issuing authority is satisfied with the facilities available in the spices processing plant/unit of the exporter of the spices.

m) The exporter shall maintain a register in 'Form B'.

n) The exporter of spices shall send to the Board a quarterly[1] statement in 'Form B' so as to reach the Secretary, Spices Board on or before the tenth day of every succeeding (quarter.)[2]

---

[1] As ammended by No. MD/L & R/01/92.93 dated 19.10.93.

[2] Ammended by Notification No. MD/L & R/01/92.93 dated 19.10.93

ण. हर मसाले निर्यातक को, इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत बोर्ड के किसी भी अधिकारी को निरीक्षण केलिए सभी लेखे, रजिस्टर एवं अपने व्यापार के संबंध में उसके द्वारा मसाले निर्यातक के रूप में बनाए रखे अन्य रिकार्ड आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करना चाहिए।

2. निर्यातक के रूप में प्रमाणपत्र का नवीकरण

क. कोई भी व्यक्ति जो अपने प्रमाणपत्र का नवीकरण चाहता है उसे वर्ष के 30 जून, जबकि प्रमाणपत्र की विधिमान्यता समाप्त होती है, को या उससे पूर्व और उपविनियमों में उल्लिखित ढंग से शुल्क सहित नियमों में उल्लिखित "प्रपत्र 1" प्रमाणपत्र निर्गमन प्राधिकारी को एक आवेदन है।

बशर्ते कि प्रमाणपत्र निर्गमन प्राधिकारी वर्तमान प्रमाणपत्र की समाप्ति तारीख तक नवीकरण, केलिए, हर महीने या उसके भाग के विलंब केलिए 25 रुपये की दर पर, अतिरिक्त शुल्क के भुगतान से एक आवेदन ले लेते है।

ख. यदि निर्यातक विधिमान्य प्रमाणपत्र धारण करने की अवधि के दौरान कोई निर्यात व्यापार नहीं करता है तो, निर्यातक के रूप में प्रमाणपत्र के नवीकरण पर अगले तीन महीनों केलिए विचार नहीं किया जाएगा। फिर भी, यदि निर्यातक एक निर्यात संविदा में भाग लेता है तो, वह इन विनियमों में निर्धारित ढंग से बोर्ड को एक नए निर्यातक प्रमाणपत्र केलिए आवेदित कर सकता है।

3. हर एक पंजीकृत निर्यातक को उन मसालों के संबंध में जो समय-समय पर स्पाइसेस बोर्ड द्वारा उल्लिखित किए गए हैं, निर्यात के पूर्व स्पाइसेस बोर्ड से अपने निर्यातों की संविदा पंजीकृत करना चाहिए।

4. हर एक पंजीकृत निर्यातक को उन मसालों के संबंध में जो समय-समय पर स्पाइसेस बोर्ड द्वारा अधिसूचित किए गए है, अपने ब्रैंड नाम पंजीकृत कराना चाहिए, यदि वे ब्रैंड नाम के अधीन उपभोक्ता पैको में निर्यात करना चाहते हैं।

टी. नंदकुमार

अध्यक्ष,

स्पाइसेस बोर्ड.

o) Every exporter of spices shall produce on demand for inspection by any officer of the Board authorised in this behalf by the Chairman, all accounts, registers, and other records kept by him in connection with his business as spices exporter.

2. Renewal of Certificate as Exporter:

a) Any person desiring to renew the certificate as exporter shall submit an application in 'Form 1' mentioned in the Rules to the certificate issuing authority accompanied with the fees and in the manner specified in sub-regulation on or before 30th June of the year in which the validity of the certificate expires:

Provided that the certificate issuing authority may entertain an application for renewal upto the date of expiry of the existing certificate on payment of additional fee at the rate of Rs. 25 for the delay of each month or part thereof.

b) If the exporter does not carry on any export business during the period in which he holds a valid certificate, the renewal of certificate as exporter for the next three years may not be considered. However, if the exporter enters into an export contract, he may apply to the Board for a fresh exporter certificate in the manner prescribed in these Regulations.

3) Every registered exporter shall register his contract of exports with the Spices Board prior to the export in respect of such spices as specified by the Spices Board from time to time.

4) Every registered exporter shall register his brand names in respect of such spices as notified by the Spices Board from time to time, if they propose to export in consumer packs under brand names.

T. Nandakumar,

Chairman,

Spices Board.

प्रपत्र 'क'

निर्यातक के रूप में पंजीकरण-प्रमाणपत्र

(अनन्तरणीय)

(स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा - 11)

प्रमाण पत्र में..

श्री/श्रीमती/मेसर्स ....

....

....

....

को, भारत से मसालों के निर्यातक के रूप में कारबार करने केलिए स्पाइसेस बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) विनियम 1989 में उल्लिखित शर्तों तथा स्पाइसेस बोर्ड द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अधीन प्राधिकृत किया जाता है।

प्रमाणपत्र अगस्त के इकतीसवें दिन तक विधिमान्य है।

स्थान-कोच्ची | सचिव के हस्ताक्षर

तारीख: (मुहर)

FORM A

Certificate of Registration as Exporter

(Not Transferable)

(Section 11 of Spices Board Act, 1986)

Certificate No: ....

Shri/Smt/Messrs ....

....

....

is/are hereby authorised to do business as EXPORTER of Spices from India subject to the conditions specified in the Spices Board (Registration of Exporters) Regulations, 1989 and instructions issued by the Spices Board.

The Certificate is valid upto the 31st day of August..................

Place: Cochin

Date:

Signature of Secretary

(Seal)

प्रपत्र 'ख'

मसाले निर्यातकों की तिमाही विवरणी

[नियम 3(1) (ढ) देखें]

निर्यातक का नामः ....को समाप्त तिमाही का निर्यात

स्पाइसेस बोर्ड पंजीकरण संः दूरभाषः

डाक पताः टेलेक्सः

फैक्सः

क्रम सं	लदान की तिथि/ महीना	लदान का भारतीय पतन	निर्यातित मसाला/ मसाला उत्पाद का नाम	देश जिसको निर्यातित है	वास्तविक पैक/आकार (वज़न)	मात्रा (कि.ग्रा.)	एफ ओ बी मूल्य (रु.)	एफ ओ बी यूनिट मूल्य (रु./कि.ग्रा.)	अदा किया गया स्पाइसेस बोर्ड का उपकर (रू.)

घोषणाः मैं/ हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे/हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सच है।

स्थानः (निर्यातक का हस्ताक्षर)

तारीखः

नोटः-

1. तिमाही विवरणी हर तिमाही के अगले महीने के 10 वें दिन के भीतर भेजनी चाहिए।
2. प्रधान विनियम 24 अक्तूबर, 1989 सं. 28 में प्रकाशित हैं।

FORM B

Spices Exporters Quarterly Return

[See Regulation 3(1) (n)]

Name of exporter:
Spices Board Registration No:
Postal Address:

Export for the quarter ending:
Telephone:
Telex:
Fax:

Sl. No.	Date/ Month of Shipment	Indian port of Shipment	Name of Spice/ spice product exported	Country to which exported	Actual pack/ size (Weight)	Quantity (Kgs)	FOB Value (Rs.)	FOB Unit Value (Rs./Kg.)	Spices Board Cess Paid (Rs.)

Declaration: I/We declare that the information given above are true to the best of my/our knowledge and belief.

Place:
Date:

(Signature of the Exporter)

Note:-

1. Report for a quarter should be sent before the 10th day of the succeeding month of every quarter.
2. Principal regulations were published on 24th October 1989. No. 28